26.12.19 पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकैन उपस्थित। उभयपक्ष द्वारा बहस सुनी जा चुकी है।।

वकील अपीलांट ने मामले में बहस करते हुए अपील में अंकित बिन्दुओं/आधारों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये परन्तु दिनांक 20.4.2015 को सम्मन तामील शुदा अथवा तामील प्राप्त नहीं होने पर प्रत्यर्थीगण को सम्मन रजिस्टर्ड A.D. जरिये का आदेश पारित किया जिसकी पालना में अपीलांटगण सम्मन रजिस्टर्ड A.D भिजवाकर रसीदें न्यायालय में पेश कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधिक प्रावधानों के खिलाफ होने से काबिले खारिज है। अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया। पत्रावली को [illegible] कोर्ट में रखे जाने बाबत अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई। इन कारणों से अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय को उनके द्वारा मूल वाद के निस्तारण के बावजूद भी इसमें डिक्री पर्चा जारी किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है डिक्री पर्चा जारी करने के आदेश का निर्णय भी अपेक्षित है, जो आवश्यक था। इन आधारों से अपीलाधीन आदेश निरस्त [illegible] है।

[illegible] न्यायिक अधिकारी
[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय, जो SDO केराकत द्वारा राजस्व मूल वाद सं० 111/2014, मंगलराम बनाम राजेन्द्रसिंह वगैरह में दिनांक 11.7.2016 को पारित किया है, अपास्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह वाद को पुनः सुनवाई के प्रक्रम में रखकर प्रतिवादीगण की सम्यक तामील सुनिश्चित करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। निर्णय सुनाया गया।
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की एक प्रति के साथ लौटाई जावे।
	(हस्ताक्षर)
	राजस्व अपील प्राधिकारी जौनपुर